तारीख हुक्म	**न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट(एनआई एक्ट प्रकरण) क्रम–10 जयपुर महानगर द्वितीय प्रकरण संख्या : 775/2021 (22273/25) मालू फिनवेस्ट सर्विसेज प्रा.लि. बनाम ग्रीनटीक इण्डिया प्रा.लि.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-09-25	परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित, जिसकी हाजरी माफी का आवेदन जरिये अधिवक्ता पेश हुआ, जो केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है। इस आदेश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांकित 06.09.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त प्रकरण दिनांक 08.04.2025 को जिरह परिवादी में नियत था, उक्त दिनां को अभियुक्त के अधिवक्ता अन्य प्रकरण में पैरवी करने हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–10, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम में वास्ते पैरवी गए थे, जिस कारण माननीय न्यायालय में प्रकरण में लंच पश्चात् पैरवी करने हेतु पहुंचने पर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही अभियुक्त की जिरह बंद फरमा दी गयी थी। यदि परिवादी को पुनः तलब कर अभियुक्त को जिरह का अवसर नहीं दिया जाता है तो अभियुक्त के अधिकार कानूनी रूप से प्रभावित होंगे। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर परिवादी को पुनः तलब कर अभियुक्त को जिरह का अवसर दिए जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की नकल परिवादी अधिवक्ता को दिलाई जा चुकी है, जिनके द्वारा मौखिक बहस कर कथन किया कि अभियुक्त को जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् जिरह का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्त पक्ष की प्रकरण में देरी करने की मंशा है। हस्तगत प्रार्थना पत्र मात्र देरी करने के आशय से पेश किया गया है, जिसे मय हर्जे–खर्चे अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। बहस उभयपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को परिवादी से जिरह करने हेतु पूर्व में कई अवसर दिए जाने के पश्चात् अभियुक्त का परिवादी से जिरह करने का अवसर दिनांक 08.04.2025 को बंद किया गया, जिसके पश्चात्	

तारीख हुक्म	**न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट(एनआई एक्ट प्रकरण) क्रम–10 जयपुर महानगर द्वितीय प्रकरण संख्या : 775/2021 (22273/25) मालू फिनवेस्ट सर्विसेज प्रा.लि. बनाम ग्रीनटीक इण्डिया प्रा.लि.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर जिरह के अवसर को पुनः खोले जाने बाबत् निवेदन किया गया। प्रकरण के सुसंगत निस्तारण हेतु पत्रावली पर दोनों पक्षों की साक्ष्य आना आवश्यक है। इस स्थिति में प्रार्थी को एक और अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, परंतु प्रार्थी द्वारा पूर्व में परिवादी से जिरह न कर न्यायालय व परिवादी के अमूल्य समय की बरबादी की गयी है। इस स्थिति में प्रार्थी पर हर्जाना अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश किया गया हस्तगत प्रार्थना पत्र 5000/– रुपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त को परिवादी से जिरह हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि आगामी पेशी पर परिवादी के उपस्थित आने पर आवश्यक रूप से जिरह की जावे अन्यथा अभियुक्त का परिवादी से जिरह का अवसर स्वतः बंद समझा जावेगा पत्रावली वास्ते जिरह परिवादी दिनांक **27.10.2025** को पेश हो।	